प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.03.2026

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा थाना वेव सिटी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर व चोरी की बाईक बरामद ।

दिनांक 04.03.2026 को हाईटेक कालेज डासना थाना वेव सिटी के सामने मेरठ मैन लाईन हाईवे डीएमई पर 04 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा तमंचे से एक नैक्सोन गाडी व मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उक्त सम्बन्ध मे थाना वेव सिटी पर वादी मुकदमा किसलय कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी फरीदाबाद हरियाणा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 04.03.2026 को मु0अ0सं0 62/2026 धारा 309(4) बीएनएस बनाम कुछ अज्ञात बदमाश पंजीकृत किया गया व घटना के अनावरण हेतु कई पुलिस टीमो का गठन किया गया,

दिनांक 07.03.2026 को घटना का सफल अनावरण करते हुये दो व्यक्तियो राज व दर्शन को गिरफ्तार किया गया था तथा दो अभियुक्त योगेन्द्र व लव वांछित चल रहे थे जिनको गिरफ्तार करने के लिये कई टीमो का गठन किया गया था यक्ष एप के माध्यम से पहचान करने पर लव के बारे मे फोटो व नाम पता ज्ञात हो गया था जिसकी गिरफ्तारी हेतु कई बार दबिश दी गयी परन्तु अभियुक्त नही मिला जिसके बाद मुखबिरो को मामूर किया गया।

दिनांक 18.3.2026 को एक मुखबिर के द्वारा बताया गया की लव चंदीला गिरधरपुर की ओर से डासना होकर अपने घर जाने वाला है, इस सूचना पर थाना क्षेत्र मे कई चैक पाईन्ट लगाये गये जिनमे से चैक पाईन्ट नायफल से डासना की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगाया गया जिसपर एक संदिग्ध बाईक सवार को आते देखकर पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया , तभी उपरोक्त मोटर साईकिल सवार द्वारा मोटर साईकिल रोकने के बजाय मोटर साईकिल को कच्चे रास्ते की ओर मोड लिया गया, तभी बारिश की वजह से फिसलन होने के कारण बाईक फिसल गयी और पुलिस टीम को आता देखकर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जवावी कार्यवाही मे आत्मरक्षार्थ चलायी गयी गोली अभियुक्त के पैर मे लगने से अभियुक्त घायल हो गया, पुछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना नाम लव चन्दीला पुत्र बलराम सिंह उर्फ बली चन्दीला निवासी छतनौरा थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ उम्र करीब 23 वर्ष बताया व पता चला की अभियुक्त ने पूर्व मे भी कई चोरी व लूट की घटनाए कारित की है, तथा थाना वेव सिटी क्षेत्र से पूर्व मे एक मोटर साईकिल भी चुरायी है, जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदो मे एक दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत है, अभियुक्त बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर व हापुड से चोरी की गयी बाईक बरामद हुयी है। अभियुक्त को घायल होने के कारण सीएचसी डासना उपचार हेतु भेजा गया ।

' गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता ' लव चन्दीला पुत्र बलराम सिंह उर्फ बली चन्दीला निवासी छतनौरा थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 831/23 धारा 120-B, 342, 354, 394, 411, 452, 506 भादवि थाना बिसरख, कमि0 गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0सं0 846/23 धारा 307, 34, 482 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, कमि0 गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 001/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिसरख, कमि0 गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 198/25 धारा 303(2), 317(2) BNS थाना दादरी, कमि0 गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 304/23 धारा 381/411 भादवि थाना फेस- II, कमि0 गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 0072/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस- II, कमि0 गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0सं0 164/23 धारा 382/411 भादवि थाना फेस- III, कमि0 गौतमबुद्धनगर
8. मु0अ0सं0 164/22 धारा 392/411 भादवि थाना मेरठ कॉलेज, जनपद मेरठ
9. मु0अ0सं0 165/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना मेरठ कॉलेज, जनपद मेरठ
10. मु0अ0सं0 166/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेरठ कॉलेज, जनपद मेरठ
11. मु0अ0स0 0070/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़
12. मु0अ0स0 0062/2026 धारा 309(4), 3/5, 317(2) बीएनएस थाना वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद
13. मु0अ0सं0 0072/2026 धारा 109(1)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट

बरामदगी का विवरण'- 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व चोरी की बाईक

' गिरफ्तार करने वाली टीम '-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 15 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे0 रविन्दर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 15 शातिर अपराधियों के विरूद्ध नगर जोन के थाना कविनगर/विजयनगर/नन्दग्राम/सिहानीगेट पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व अन्य जनपदों के विभिन्न थानों पर 71 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, शातिर अपराधियों का विवरण निम्नवत है।

नाम थाना	**क्र0 सं0**	**अपराधी का नाम**	**उम्र**	**पंजीकृत अभियोग की संख्या**
कविनगर	1	जुनेद पुत्र साजिद नि0 बिलाल मस्जिद के पास थाना साहिबाबाद	20 वर्ष	2
	2	समीर उर्फ बरू सफीक नि0 बालाजी बिहार कालोनी थाना साहिबाबाद	20 वर्ष	2
	3	अयान पुत्र इकबाल नि0 बिलाल मस्जिद के पास बालाजी बिहार थाना साहिबाबाद	19 वर्ष	2

विजयनगर	4	विशाल सोनी पुत्र स्व0 राकेश सोनी नि0 म0नं0 डी 491 सै0 11 प्रतापविहार थाना विजयनगर	31 वर्ष	8
	5	मुनीर अहमद पुत्र शकील अहमद नि0 म0नं0 डी 211 सै0 11 प्रतापविहार थाना विजयनगर	22 वर्ष	2
नन्दग्राम	6	कमल पुत्र मोहन नि0 म0नं0 51 गली नं0 1, 30 फुटा आश्रम रोड़ दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम	55 वर्ष	5
	7	विमला उर्फ पण्डितानी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश नि0 म0नं0 20, गली नं0 01, 30 फुटा आश्रम रोड़ थाना नन्दग्राम	52 वर्ष	2
	8	राजा पुत्र शेरू नि0 म0नं0 ए 70 गली नं0 02, 30 फुटा आश्रम रोड़ दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम	35 वर्ष	2
	9	सुरेश चौधरी पुत्र मदन सिंह नि0 ग्राम हसनपुर थाना मसूरी	42 वर्ष	1
	10	सोनू पुत्र परमानन्द नि0 म0नं0 52 गली नं0 04 आश्रम रोड़ थाना नन्दग्राम	42 वर्ष	1
	11	गौरव बाल्मिकी पुत्र शशि नि0 डीएस नईबस्ती थाना नन्दग्राम	27 वर्ष	1
क्रोसिंग रिपब्लिक	12	करन जाट उर्फ सोनू पुत्र जगपाल नि0 शिवपुरी सै0 09 थाना विजयनगर	36 वर्ष	18
	13	नजाकत अली उर्फ असलम पुत्र अख्तर अली नि0 शाहबेरी मस्जिद के पास थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर	25 वर्ष	3
	14	गोविन्द कश्यप उर्फ गोलू पुत्र जयप्रकाश नि0 शनिचौक लाल क्वाटर थाना क्रोसिंग रिपब्लिक	22 वर्ष	5
	15	अनीश पुत्र अली दराज नि0 सुदामापुरी थाना क्रोसिंग रिपब्लिक	36 वर्ष	17

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.03.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त सुहैल उर्फ सोहेल पुत्र कैसर द्वारा वादी के नाबालिग बेटे उम्र करीब 16 वर्ष के साथ गलत काम करना तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धारा 351(3) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 19.3.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुहैल उर्फ सोहेल पुत्र कैसर निवासी नेहरू पार्क प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद मूलपता कादरी कॉलोनी फूटा दरवाजा जनपद बदायूं उम्र करीब 21 वर्ष को चौकी क्षेत्र तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि पीडित से मेरी दोस्ती थी। मैंने मौका पाकर उसके साथ गलत काम कर दिया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुहैल उर्फ सोहेल पुत्र कैसर निवासी नेहरू पार्क प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद मूलपता कादरी कॉलोनी फूटा दरवाजा जनपद बदायूं उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।

ग्रामीण जोन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 600 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये) रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये।

- CEIR (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्र) पोर्टल पर ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ग्रामीण जोन साइबर टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 600 मोबाइल फोन **(अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये)** की बरामदगी की गई है। सभी थानों व साइबर/ सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया।
- वर्ष 2025 में ग्रामीण जोन साइबर/ सर्विलांस टीम द्वारा कुल 936 मोबाइल फोन बरामद किये गये थे। वर्ष 2026 में अबतक कुल 881 मोबाइल फोन बरामद किये जा चुके हैं।
- बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर उनके सुपुर्द कर दिया गया है।

थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरणः-

1. थाना लोनी – 72
2. थाना ट्रोनिका सिटी – 65
3. थाना अंकुर विहार – 60
4. थाना लोनी बॉर्डर – 71
5. थाना मसूरी – 80
6. थाना मुरादनगर –62
7. थाना मोदीनगर – 75
8. थाना निवाड़ी- 58
9. थाना भोजपुर- 57

कुल योग - 600

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा डायल-112 पर लूट की झूठी सूचना देने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 19 लाख रुपये बरामद ।

दिनांक 17.03.2026 को समय 21.15 बजे डायल-112 पर पीआरवी 7780 ईवैन्ट न0 P17032621473 से सूचना प्राप्त हुई कि हापुड रोड बखरवा गेट के पास वर्ना कार से जा रहे तीन लोगों से कार रोक कर 02 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने लूट की घटना कारित की है। उपरोक्त सूचना पर थाना मोदीनगर पुलिस टीम मौके पर गयी तो वर्ना कार में सवार 03 लोग कॉलर 1. प्रवीन कुमार गुप्ता पुत्र वेद प्रकाश गुप्ता 2.आयुष पुत्र हरि 3. मौ0 जैहब उर्फ जाहिब पुत्र मो0 शाहिद के बयान अंकित किये गये व प्रवीन कुमार गुप्ता पुत्र वेद प्रकाश गुप्ता से तहरीर प्राप्त कर थाना मोदीनगर पर धारा 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा गहन जाँच की गयी तो पाया गया कि उपरोक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा पूर्व से योजना बनाकर मेरठ से लूट की झूठी सूचना की घटना को कारित करने के लिये चले, सबसे पहले रिठानी मैट्रो स्टेशन के पास तीनों ने डायल-112 पर झूठी सूचना देने का प्लान किया, मेरठ में ही सीएनजी गैस पैट्रोल पम्प के पास प्रथम प्रयास समय करीब 19.30 बजे किया लेकिन भीड़ भाड़ होने के कारण वहाँ पर उक्त घटना की झूठी सूचना देने में कामयाब नही हो सके, उसके पश्चात मोहद्दीनपुर मैट्रो स्टेशन के पास घटना कारित करना चाह रहे थे लेकिन फिर वहां पर भी ट्रैफिक के चलते उक्त घटना कारित नहीं कर पाये तत्पश्चात तीनों लोग कार से राजचौपला चौराहे से हापुड़ रोड की तरफ मुड़कर चल दिये जैसे ही यह लोग बखरवा गेट के पास पहुँचे और योजना के तहत कार रोककर जैहब उर्फ जाहिब ने कार में पीछे एक पत्थर मारा इसके बाद 700-800 मीटर गाडी आगे बढाकर पीआरवी 112 पर झूठी सूचना दी कि हमारे साथ 02 मोटरसाइकिल सवार ने पिस्टल लगाकर 30 लाख रूपये से भरा बैग छीनकर ले गये हैं। जाँच में पाया गया कि प्रवीन कुमार गुप्ता प्रापर्टी डीलर का कार्य करता है। प्रवीन ने मेरठ में किसी क्रेता से रूपये लेकर दिल्ली में विक्रेता को देने के लिये प्राप्त किये थे, लेकिन प्रवीन ने विक्रेता को ना देकर अपने दोस्तो मे कुछ रूपये बाँट कर शेष रूपये प्रवीन द्वारा हड़प करने के लिये पुलिस को झूठी सूचना दी है कि जिससे क्रेता व विक्रेता को ना देना पड़े। उक्त लूट की झूठी सूचना देने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त प्रवीन कुमार गुप्ता ने पूछताछ पर बताया कि मैं प्रापर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। आजकल मेरा प्रापर्टी डीलिंग का काम कुछ कमजोर चल रहा है जिस कारण मुझे पैसों की तंगी आ रही है। मेरे आफिस में काम करने वाला आयुष की सैलरी भी मैं पिछले 2-3 महीने का देना शेष था। मेरा एक दोस्त मौ0 जैहब उर्फ जाहिब उर्फ जाहिब जो सर्जिकल ग्लब्स बाहर से खरीदता है और इन्हें अपना ब्रान्ड "स्ट्रोगार्ड" के नाम से बेचने का बिजनेस करता है। इसके साथ ही वह स्पोर्ट्स ऑनलाइन बिजनैस क्रिकेट बैट, कश्मीरी ब्लू, इन्गलिस ब्लू का भी विक्रय करता है। इस समय उसके बिजनेस में काफी समय से घाटा चल रहा था जिस कारण उसे भी पैसे की तंगी थी। ये दोनों लोग मेरे से पैसा मांगते थे तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास पैसा नही है लेकिन कुछ समय में मेरे पास कहीं से कुछ पैसा किसी को देने के लिए आने वाला है। मैं उन पैसों को उस व्यक्ति को न देकर आप दोनो के पैसे भी दे दूंगा तथा अपना बिजनेस भी अच्छे से कर लूंगा। परन्तु इसमें आप दोनो को मेरी मदद करनी होगी। जिस पर वे दोनों लोग भी तैयार हो गये। उसके बाद हमनें एक झूठी लूट की घटना की सूचना देने की योजना बनायी कि जिससे पुलिस को गुमराह कर हम उन पैसों को अपने आप में बांट सकें तथा बचे पैसों से अपना बिजनेस कर सकूं। इस घटना को करने हेतु मौ0 जैहब ने ही आगे की पुरी प्लानिंग कि थी। मैंने एक डील करवायी थी जिसमें क्रेता विनोद कुमार पुत्र रामानन्द शर्मा निवासी श्याम अपार्टमेन्ट रिसी नगर बागपत रोड जनपद मेरठ व विक्रेता महेश गर्ग निवासी बी 4/33 फर्स्ट फ्लोर सफदरगंज एन्कलेव नई दिल्ली थे। जिनके बीच में फ्लैट न0 आर 307 बिजली बम्बा रोड का सौदा कराया था। सौदा हो जाने के बाद

विनोद ने मुझे दिनांक 17/03/2026 को 20 लाख रूपये महेश को देने कि लिये दिये थे और बताया था कि महेश को यह रुपये दिल्ली जाकर देने हैं। उन बीस लाख रुपयों में से पांच लाख रुपये मैंने अपने घर पर रख दिये थे तथा एक लाख रुपये जो मेरी फुटकर दुकानों की उधारी थी वह चुकता कर दिये थे। शेष बचे 14 लाख रुपये मैंने अपनी वर्ना कार रजि0 UP15EE4039 में रख दिये थे। मेरे पास पैसे आने के बाद मैंने यह सूचना अपने दोनों साथियों आयुष व मौ0 जैहब को दी कि आज मेरे पास पैसे आ गये हैं और हम जो लूट की झूठी सूचना पुलिस को देने का तथा पैसा गबन करने का जो प्लान बना रहे थे आज उसका सही दिन है। उसी दिन शाम को हम सभी मेरे ऑफिस में एकत्र हुए। इसके पश्चात हम लोग कार में बैठ गये और कार में रखे 14 लाख रुपयों में से मैंने 05 लाख रुपये आयुष को तथा 05 लाख रुपये मौ0 जैहब को दे दिये थे। बचे हुए चार लाख में से 02 लाख मैंने अपनी कार में तथा 02 लाख अपने पास अपने खर्चे के लिए रख लिये थे। उसके बाद आयुष व मौ0 जैहब वहां से चले गये थे तथा अपने पैसे कहीं रखकर कुछ समय बाद वापस आ गये थे। उसके बाद हम तीनों मेरे ऑफिस से अपनी कार वर्ना रजि0 UP15EE4039 से अपने प्लान के अनुसार दिल्ली के लिए निकल गये थे। रास्ते में हमने कई जगहों पर पुलिस को लूट की झूठी सूचना देने का प्रयास किया परन्तु भीडभाड होने के कारण हम पुलिस को झूठी सूचना नही दे सके। उसके बाद हम चलते हुए मोदीनगर आ गये जहाँ पर मुझे मौ0 जैहब ने बताया कि मोदीनगर से भोजपुर जाने वाले हापुड रोड पर सुनसान जगह पडती है जहाँ पर अंधेरा भी काफी रहता है। हम वहां पर जाकर पुलिस को सुचना देंगे। उसके बाद हम लोग राज चौपला मोदीनगर से समय लगभग 9.00 बजे भोजपुर की ओर हापुड रोड पर चल दिये। आबादी से कुछ दूर निकलकर खंजरपुर गेट से लगभग 200 मीटर आगे निकलकर गाडी खडी करने की जगह भी थी तथा अंधेरा था वहां पर अपनी कार को रोक लिया। प्लान के अनुसार हम तीनों लोग गाडी से बाहर आये तथा मौ0 जैहब ने पास में पडा एक पत्थर उठाकर गाडी के पीछे की ओर डिक्की के ऊपर मार कर चोट का निशान बना दिया। जिससे हम यह प्रदर्शित कर सकें कि किसी ने पीछे से गाडी पर पत्थर फेंक कर मारा है। उसके बाद हमनें अपनी गाडी को लगभग एक किलोमीटर के आसपास आगे बढाया तथा डायल-112 पर कॉल कर अपने साथ लूट होने की घटना की खबर दी। जिससे यह पता चल सके की हमने हमारे साथ लूट करने वालों का पीछा भी किया है। मैंने 112 पर कॉल करते समय 30 लाख रुपये लूटने की झूठी सूचना दी थी जबकि वास्तव में हमारे साथ लूट जैसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी। हमने यह लूट की झूठी सूचना इसलिए दी थी ताकि विनोद द्वारा दिये गये पैसों का गबन कर अनुचित लाभ उठा सकूं और मुझे महेश गर्ग को पैसे न देने पडे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. प्रवीन कुमार गुप्ता पुत्र वेद प्रकाश गुप्ता निवासी गंगानहर थाना गंगानहर जनपद मेरठ उम्र करीब 42 वर्ष।
2. आयुष पुत्र हरि सिंह निवासी मोकमपुर दिल्ली रोड थाना टीपी नगर जनपद मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष।
3. मौ0 जैहब उर्फ जाहिब पुत्र मो0 शाहिद निवासी डी-603 सुपर टैक ग्रीन विलेज थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

19 लाख रुपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।